न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर।

पीठासीन अधिकारीः– गोपाल परिहार **RAS**

राजस्व अपील संख्याः 12/2009

अपीलार्थी :–

खीयाराम पुत्र स्व0 श्री सूराराम फौत के का0मु0–

1) लादूराम पुत्र स्व0 श्री खींयाराम
2) बगडूराम पुत्र स्व0 श्री खींयाराम
3) यशदीप पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल उम्र 17 वर्ष अवयस्क
4) नवरंगी पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल उम्र 19 वर्ष अवयस्क
5) श्रीमति लूंगादेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री मांगीलाल। विधिक प्रतिनिधि संख्या 3 अवयस्क द्वारा उनकी नैसर्गिक संरक्षिका माता श्रीमति लूंगादेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री मांगीलाल जाति विश्नोई निवासी खेजड़ली कला तहसील लूणी।
6) श्रीमती परमेश्वरी पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल धर्मपत्नी स्व0 श्री मनोहरराम जाति विश्नोई निवासी गांव मलार, तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
7) श्रीमती पदमा पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल धर्मपत्नी श्री प्रकाश जाति विश्नोई, निवासी गांव करवाड़ा तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर।
8) श्रीमती पिस्ता पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल धर्मपत्नी श्री ओमप्रकाश जाति विश्नोई निवासी गांव फींच तहसील लूणी जिला जोधपुर।
9) श्रीमती आयचुकी पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल धर्मपत्नी श्री सगराम जाति विश्नोई निवासी गांव गुडाविश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
10) श्रीमती पालू पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल धर्मपत्नी श्री भारतराम जाति विश्नोई, निवासी गांव खेडी की ढाणी तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर।
11) श्रीमती मनीषा पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल धर्मपत्नी श्री रमेश जाति विश्नोई, निवासी गांव खेड़ी की ढाणी, तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
12) श्रीमति चम्पा धर्मपत्नी स्व0 श्री किशनाराम
13) रामसिंह पुत्र स्व0 श्री किशनाराम, उम्र 11 वर्ष
14) रामनारायण पुत्र स्व0 श्री किशनाराम, उर्म 7 वर्ष,
15) रेखा पुत्री स्व0 श्री किशनाराम उम्र 16 वर्ष,
16) पुजा पुत्री स्व0 श्री किशनाराम उम्र 12 वर्ष, विधिक प्रतिनिधि संख्या 13 व 16 अवयस्क द्वारा उनकी प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति चम्पा धर्मपत्नी स्व0 श्री किशनाराम जाति विश्नोई निवासी खेजड़ली कलां तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :– 1. जेठूराम पुत्र श्री हरलाल फौत के का0मु0–

1/1 किशनलाल पुत्र स्व0 श्री जेठूराम उम्र 60 वर्ष, जाति घांची निवासी पुष्टिकर स्कूल के पास जालोरी गेट के अंदर, जोधपुर।

1/2 श्रीमती मनोहरी देवी पुत्री स्व0 श्री जेठूराम, पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण भाटी, उम्र 62 वर्ष जाति घांची, निवासी भाटी भवन जोगियो का बास, सिंवाची के गेट के अंदर, जोधपुर।

2. शंकरलाल पुत्र श्री हरलाल फौत के का0मु0–

2/1 अरमचंद बोराणा पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल बोराणा

2/2 कमलजीत पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल बोराणा दोनो जाति घांची–बोराणा निवासी 13 मिल्कमैन कॉलोनी पाल रोड, जोधपुर।

2/3 तुलसीराम बोराणा पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल जाति घांची निवासी महेश्वरियो के न्याति नोहरे के पास, जालोरी गेट के अंदर, जोधपुर।

2/4 बाबूलाल बोराणा पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल जाति घांची निवासी गली संख्या 1 मिल्कमैन कालोनी पाल रोड़, जोधपुर।

2/5 श्रीमती सारिका पुत्री स्व0 श्री शंकरलाल बोराणा जाति घांची निवासी प्रेमनगर, उदयपुर।

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

Scanned by CamScanner

3. श्रीमती कैली पत्नी श्री खीयाराम जाति विश्नोई निवासी खेजडलीकला तहसील लूणी जिला जोधपुर।

4. सुखीया पुत्र श्री सूराराम फौत के का0मु0–
4/1 श्रीमती चुनी पत्नी स्व0 श्री सुखीया उर्फ सुखराम जाति विश्नोई निवासी खेजडलीकला तहसील लूणी जिला जोधपुर।

5. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार लूणी।

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामांतकरण संख्या 83 दिनांक 05.06.1969 ग्राम खेजड़लीकला, जो सरपंच ग्राम पंचायत खेजडलीकला द्वारा स्वीकार किया गया।</u>

उपस्थिति :–

01. अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधियो की ओर से श्री लाधूराम पुनिया अधिवक्ता उपस्थित।

02. प्रत्यर्थी संख्या 4 के का0मु0 की ओर से श्री दिवाकर शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

03. प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से श्री जयदेव सिह चारण अधिवक्ता उपस्थित।

आदेश दिनाकः– 16/1/2023

अपीलार्थी की अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार वर्णित किये है कि ग्राम खेजडली कला तहसील लूणी की भूमि खसरा संख्या 329 रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा भूमि मृतक अपीलार्थी खींयाराम व उसके भाई मृतक धूलाराम, प्रत्यर्थी संख्या 4 मृतक सुखीया की सामलाती खातेदारी की आई हुई है। उक्त खातेदारान मे से धुलाराम ने दिनांक 02.06.1966 को इसका बेचान हरलाल वल्द उमाजी घांची बोराणा निवासी जोधपुर को कर दिया, जिसका नामांतकरण संख्या 83 ग्राम खेजडलीकला दिनांक 05.06.1969 को ग्राम पंचायत ने मन्जूर कर लिया। उक्त बेचान अकेले धूलाराम द्वारा किया गया, जिसके आधार पर पूरी भूमि का नामांतकरण संख्या 83 खरीददार के नाम दर्ज कर दिया, जिससे व्यथित होकर मृतक अपीलार्थी खींयाराम ने यह अपील दिनांक 09.03.2004 को प्रस्तुत की है जिसमे यह बताया गया है की उसके द्वारा भूमि का अपना हिस्सा किसी को भी कोई बेचान नही किया है फिर भी ग्राम पंचायत खेजडलीकला ने अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 83 द्वारा उसका नाम खातेदारी से हटा दिया। उक्त नामांतकरण पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सूनवाई सूचना का कोई अवसर प्रदान नही करना बताकर तथा भूमि बेचान व राजस्व रेकर्ड की जांच किये बिना नामांतकरण पारित कर देना बताकर अपील प्रस्तुत की है तथा अपील को अंदर म्याद सुमार करने हेतु उसके साथ धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के प्रस्तुत की है।

अपील म्याद बिन्दु के एतराज की शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किए गए, नामांतकरण का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने दिनांक 20.06.2017 को राजस्व कैम्प कोर्ट नारनाडी मे क्रोस अपील अंतर्गत आदेश 41 नियम 22 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रस्तुत कर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 83 ग्राम खेजडली कला नियम विरूद्ध पारित करना बताकर उसको व उसके पश्चातवृति दर्ज समस्त नामांतकरण को निरस्त करने की इस्तदुआ की तथा अपील का समर्थन किया। शेष प्रत्यर्थीगण के सम्मन उन पर तामील होने के बाद उनकी ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अपील के दौरान अपीलार्थी खींयाराम व प्रत्यर्थी जेठाराम, शंकरलाल व सुखीया का देहांत हो गया, जिनके विधिक प्रतिनिधियो को पत्रावली पर लिये जाने के आदेश अलग से पारित किये जा चुके है।

अपीलार्थी के एवं प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि वादग्रस्त भूमि धूलाराम, खींयाराम, सुखीया पुत्र सुराराम की खातेदारी की थी जिसका बेचान अकेले धूलाराम ने दिनांक 02.06.1966 को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 हरलाल को कर दिया तथा खातेदार खींयाराम व सुखीया ने अपने हिस्से का कोई बेचान नही किया तथा अपीलाधीन नामांतकरण बेचान नही करने वाले खातेदार के हिस्से का भी खरीददार के नाम गलत दर्ज किया है तथा खींयाराम व सुखीया को अपीलाधीन नामांतकरण दर्ज करने से पूर्व सुनवाई सूचना का कोई अवसर नही दिया है। जिस कारण अपीलाधीन नामांतकरण शुन्य है एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है जिसको निरस्त किया जावे तथा अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 83 दर्ज करने के बाद खरीददार मृतक हरलाल ने वादग्रस्त खसरा मे से 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 3 श्रीमति केली पत्नी श्री खीयाराम को किया है जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 240 दिनांक 19.10.1982 को दर्ज किया गया, उक्त पश्चातवृति नामांतकरण भी अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 के हक अधिकारो के विरूद्ध होने से शुन्य है एवं निरस्त किये जाने के योग्य होने से निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस के निरन्त मे बताया कि अपीलार्थी मृतक खींयाराम अपने भाई धूलाराम से भूमि बंटवाडे का विवाद हुआ उस दौरान धूलाराम ने प्रश्नगत भूमि का बेचान प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पिता मृतक हरलाल के नाम कर देने का बताया तब अपीलार्थी ने दिनांक 02.03.2004 को पटवारी हल्का खेजडलीकला के पास जाकर इसका पता कर नामांतकरण की नकल ली, तब उसको पहली बार अपीलाधीन नामांतकरण की जानकारी हुई कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 हरलाल ने अपीलार्थी खींयाराम, प्रत्यर्थी संख्या 4 सुखीया के हिस्से की भूमि का उनके द्वारा बेचान नही करने के उपरान्त भी अपने नाम नामांतकरण संख्या 83 दर्ज करवाया लिया। अपील को प्रथम बार जानकारी से अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई शुमार मानते हुए स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन नामांतकरण एवं उसके पश्चातवृति दर्ज नामांतकरण को निरस्त किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि इस अपील मे किसी प्रकार द्वारा रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का खण्डन नही किया गया इसलिए न्यायहित मे अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के उचित प्रतीत होने पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अपील के गुणावगुण पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी पत्रावली मे प्राप्त अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 83 ग्राम खेजडलीकला का व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पिता के पक्ष मे किये गये बेचाननामे की प्रस्तुत नकल का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजो की अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 हरलाल के पक्ष मे किया गया बेचाननामा अकेले धूलाराम द्वारा किया गया है तथा सहखातेदार अपीलार्थी मृतक खींयाराम व सुखीया ने अपने हक हिस्से की भूमि का कोई बेचान नही किया। तब केवल बेचानकर्ता के हक हिस्से तक ही उक्त बेचान वेद्य होता है तथा हक हिस्से से अधिक किया गया बेचान अवैध व शुन्य है। हम यह मानते है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन नामांतकरण दर्ज करते समय उक्त तथ्यो की अनदेखी की गयी है इसलिये अपीलाधीन नामांतकरण बेचानकर्ता के हक हिस्से से अधिक का पारित किया गया होने से बहाल रखे जाने के योग्य नही है तथा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

निरस्त किये जाने के योग्य पाते है तथा उसके पश्चातवृति नामांतकरण संख्या 240 ग्राम खेजडलीकला भी मृतक हरलाल द्वारा उसके इक हिस्से से अधिक भूमि के बेचान के आधार पर दर्ज किया जाना पाया जाताहै जो भी कानुन की नजर मे शुन्य है जो बहाल रखे जाने के योग्य नही है तथा निरस्त किये जाने के योग्य है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 4 की क्रोस अपील को स्वीकार किये जाने के योग्य है। जिसको स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 83 ग्राम खेजडलीकला दिनांक 05.06.1969 व उसके पश्चावतृति नामांतकरण संख्या 240 ग्राम खेजडलीकला को भी निरस्त किया जाता है तथा मामला तहसीलदार लूणी को प्रतिप्रेषित किया जाता है तहसीलदार लूणी मृतक खातेदार खीयाराम व सुखीया के हिस्से की भूमि पर उनकी खातेदारी बहाल करे तथा धूलाराम द्वारा हरलाल पुत्र उमाराम को किये गये बेचान दिनांक 02.06.1966मे केवल धूलाराम के हिस्से मे आने वाले रकबे का नामांतकरण मृतक हरलाल व हरलाल द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 श्रीमति केली के पक्ष मे किये गये बेचान के आधार पर दर्ज करने की कार्यवाही करे। मूल नामांतकरण इस निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार लूणी को पुनः प्रेषित किया जावे। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी